न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 133/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/507

1. मनोज धारणियां पुत्र गोपीराम, जाति बिश्नोई निवासी 1 जीबी (जैतसर) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
2. मुन्नी देवी पत्नी गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी 1 जीबी (जैतसर) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र रामप्रताप पुत्र लाधुराम, जाति बिश्नोई निवासी बिश्नोई मोहल्ला, वार्ड नं. 11 संगरिया, जिला हनुमानगढ़
2. बिशनदत्त पुत्र रामप्रताप पुत्र लाधुराम, जाति बिश्नोई निवासी बिश्नोई मोहल्ला, वार्ड नं. 11 संगरिया, जिला हनुमानगढ़
3. सुखदेवी पुत्री रामप्रताप पत्नी छोटूराम जाति बिश्नोई निवासी 10 केएसडी, मालारामपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. वेधवंती पत्नी फूल सिंह उर्फ फूला सिंह जाति बिश्नोई निवासी बिश्नोई मोहल्ला, वार्ड नं. 11 संगरिया, जिला हनुमानगढ़
5. आईना पुत्री फूल सिंह उर्फ फूला सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता वेधवंती पत्नी फूल सिंह उर्फ फूला सिंह जाति बिश्नोई निवासी बिश्नोई मोहल्ला, वार्ड नं. 11 संगरिया, जिला हनुमानगढ़
6. साक्षी पुत्री फूल सिंह उर्फ फूला सिंह जो मानसिक रूप से बीमार जरिये माता वेधवंती पत्नी फूल सिंह उर्फ फूला सिंह जाति बिश्नोई निवासी बिश्नोई मोहल्ला, वार्ड नं. 11 संगरिया, जिला हनुमानगढ़
7. सुखदेव सिंह पुत्र विनोद कुमार, जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 28 गुरूनानक बस्ती संगरिया, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. अरिष्ट कुमार पुत्र अरविंद कुमार, जाति बिश्नोई, निवासी वार्ड नं. 16 पुरानी आबादी संगरिया, जिला हनुमानगढ़ राज0
9. सीताराम पुत्र भूपराम, जाति बिश्नोई, निवासी 65 एलएनपी, हाल निवासी गली नं. 11, नजदीक सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. तहसीलदार भू अभिलेख श्रीविजयनगर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री राकेश गोदारा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 से 9
3. राजपैरोकार, प्रत्यर्थी सं. 10

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील मय प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 20.07.2023 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 4 जेएसडी प.नं. 130/374 मु.नं. 155 की कुल 6.200 है. कमाण्ड खातेदारी भूमि का बैयनामा दिनांक 20.07.2023 के आधार पर रेस्पों. सं. 7 से 9 के पक्ष में ईन्तकाल सं. 1430 स्वीकृत किया गया हैं के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

जिला कलक्टर अनूपगढ़

2. अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। उपभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। दिनांक 23.10.2023 को प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी हैं तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखा गया था। अपीलार्थी प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि आलौच्य आदेश एकतरफा पारित किया गया हैं, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। आलौच्य आदेश की जानकारी दिनांक 15.10.2023 को प्राप्त होने के उपरान्त ईल्म से अंदरमियाद अपील पेश की गयी हैं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया हैं।

3. अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि रामप्रताप पुत्र लाधूराम के नाम से थी जो रामप्रताप पुत्र सोहनलाल के द्वारा जरिए ईकरारनामा खरीद की गयी तथा रामप्रताप पत्र सोहनलाल से अपीलार्थीगण के पिता/पति के द्वारा जरिए ईकरारनामा दिनांक 06.09.1996 खरीद की गयी। जिस पर अपीलार्थीगण का कब्जा चला आ रहा हैं। रामप्रताप पुत्र सोहनलाल ने मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर में ईकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पेश किया जो दिनांक 21.08.2003 को रामप्रताप पुत्र सोहनलाल के पक्ष में डिक्री हुआ जिसके विरूद्ध रामप्रताप पुत्र लाधूराम के द्वारा मा. उच्च न्यायालय में अपील पेश की गयी इस दौरान रामप्रताप पुत्र लाधूराम व रामप्रताप पुत्र सोहनलाल की मृत्यु हो गयी। दोनों के वारिसान ने दुरभिसंधि कर राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में वाद विड्रो कर डिक्री दिनांक 21.08.2003 को निरस्त करवा लिया। रामप्रताप पुत्र लाधूराम के वारिसों ने अपने नाम से विरास्तन ईंतकाल दिनांक 07.06.2023 को स्वीकार करवा रेस्पों. सं. 7 ता 9 के पक्ष में दिनांक 20.07.2023 को बैयनामा पंजीबद्ध करवा दिया और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी रोज बैयनामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत कर दिया। भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा आज भी हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा की जांच किये बिना व अपीलार्थी को बिना सुने आदेश पारित किया गया हैं। जो विधि विरूद्ध अपीलार्थी को आलौच्य आदेश का ज्ञान होने पर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी हैं। प्रकरण में संबंध में अपीलार्थी का प्रकरण मा. राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में विचाराधीन हैं जिसमें स्थगन आदेश जारी हैं। स्थगन के दौरान आदेश पारित किया गया हैं। बैयनामा के आधार पर नामान्तरण का अधिकार ग्राम पंचायत को हैं परन्तु प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इन्तकाल स्वीकृत किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने न्यायालय का ध्यान राजस्थान भू राजस्व(भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 121 की आकृष्ट किया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज०)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर हैं। अपीलार्थीगण के द्वारा भूमि रामप्रताप पुत्र सोहनलाल से क्रय किये जाने का कथन किया गया हैं लेकिन वे प्रकरण में पक्षकार नहीं हैं तथा उनका भूमि में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं हैं। इसी प्रकार अपीलार्थीगण का भी अपीलाधीन भूमि में कोई हित निहित नहीं हैं। दस्तावेज बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व कब्जा की जांच किया जाना आवश्यक नहीं हैं, चूंकि कब्जा के संबंध में बैयनामा में तथ्य दर्ज हैं। आलौच्य आदेश पारित करते समय कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधिवत हैं। अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1985 पेज नं. 284 एवं आरआरटी 2003(1) पेज नं. 293 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। अपीलाधीन भूमि पर उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर का स्थगन आदेश दिनांक 22.06.2023 प्रभावी था जो दिनांक 18.07.2023 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया इसके पश्चात न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा दिनांक 21.07.23 को अपीलाधीन भूमि पर राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया हैं। आलौच्य आदेश दिनांक 20.07.2023 का हैं, स्पष्टतः प्रमाणित हैं कि आलौच्य आदेश पारित करने की दिनांक को स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था।

6. आलौच्य आदेश दिनांक 20.07.2023 जिसके द्वारा बैयनामा दिनांक 20.07.2023 के आधार पर नामान्तरण सं. 1430 स्वीकार किया गया हैं के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.10.2023 को अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थीगण के द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर देने के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया हैं जबकि पूर्व में अपीलार्थीगण के द्वारा अपीलाधीन भूमि के सबंध में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी न्यायालय श्रीविजयनगर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज किया जाने के कारण उसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं तथा अपीलाधीन भूमि के संबंध में प्रकरण अन्य न्यायालय में विचाराधीन हैं। अपीलार्थी के विधिक हितों की रक्षार्थ अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

7. प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा रजि. बैयनामा के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं बैयनामा एवं नामान्तरण की दिनांक 20.07.2023 हैं। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ. 5(21) राज–4/80/35 दिनांक 04.09.1982 के द्वारा भूमि आवंटन के पश्चातवर्ती या न्यायालय के आदेशों के अनुपालना में होने वाले नामान्तरणों को छोड़कर नामान्तरण के अन्य निर्विवाद मामलों को विनिश्चित करने की तहसीलदार की भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(1) की शक्तियां ग्राम पंचायत को प्रदान की गयी हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिवस के भीतर निपटारा नहीं करने पर तहसीलदार द्वारा जांच और निपटारा किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में नामान्तरण सीधे ही तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा स्वीकृत कर दिया गया हैं जो विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार को चाहिए था कि वे नामान्तरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अधिकारिता वाली ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करते तथा समयावधि में प्रकरण का निस्तारण नहीं होने पर विधिसम्मत जांच करते हुए नामान्तरण पर निर्णय पारित करते। आलौच्य आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2023 ईन्तकाल सं. 1430 को निरस्त किया जाता हैं। अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति के पालनार्थ लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)